(xv) **धारा 4(1)बी–(v)** आम नागरिकों को सूचना प्राप्ति हेतु दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण, समयावधि।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना किस प्रकार प्राप्त होगी

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ 10/– रु. की नकद प्राप्ति रसीद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्र चैक जो निदेशक एवं उप शासन सचिव, पर्यावरण विभाग को देय हो, संलग्न होना चाहिए।

2. सूचना प्रदान करने हेतु निर्धारित फीस/शुल्कः–

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उप धारा 1 के अन्तर्गत नकद प्राप्ति रसीद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्र चैक जो उप वन संरक्षक पदेन उप शासन सचिव, पर्यावरण विभाग को निम्न दर से देय होगाः

   (अ) 2 रु. प्रति पृष्ठ (ए–4/ए–3 साइज)
   (ब) लार्ज साइज पृष्ठ का वास्तविक शुल्क
   (स) सैम्पल/माडल का वास्तविक शुल्क एवं
   (द) अभिलेखों का अवलोकन एवं निरीक्षण करने पर प्रथम एक घंटे का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रथम एक घंटे के अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनिट या उसके किसी भाग पर 5 रु. अतिरिक्त शुल्क लिया जावेगा।

3. सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 7 की उप धारा 5 के अन्तर्गत नकद प्राप्ति रसीद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्र चैक जो निदेशक एवं उप शासन सचिव, पर्यावरण विभाग को निम्न दर से देय होगाः
   (अ) डिस्क/फ्लोपी के आवेदन पर 50 रु. प्रति फ्लोपी शुल्क/फीस देय होगा।
   (ब) मुद्रत रूप में प्रदत्त सूचना के लिए – ऐसे प्रकाशन की निर्धारित कीमत अथवा ऐसे प्रकाशनों की छाया प्रति के लिए 2 रु. प्रति पृष्ठ